राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3825/2025

ओमप्रकाश शर्मा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), राजसमंद।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, नागौर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 07.08.2025
आदेश की दिनांक : 16.09.2025
उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री देवेन्द्र सोलंकी, अभिभाषक
समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क किया कि अपीलार्थी वर्तमान में व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, अटारी, कुंभलगढ़, राजसंमद में कार्यरत है। अपीलार्थी का स्कूल व्याख्यता परीक्षा–2015 में चयनित होने के पश्चात् आदेश दिनांक 28.06.2017 (अनुलग्नक–2) के द्वारा व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) के पद पर नियुक्त किया गया था। उक्त आदेश में मेरिट क्रमांक 126 प्राप्त करने वाले अपीलार्थी को क्रम सं. 130 पर रखा गया था और राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, दलोट, अरनोद, प्रतापनगर में कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिये गये। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 28.06.2017 के द्वारा अपीलार्थी राजकीय प्राथमिक विद्यालय, पिपराली मुंडघासोई, नांवा, नागौर में शिक्षक ग्रेड–III के पद पर कार्यरत था। जिसकी अनुपालना में दिनांक 28.06.2017 के द्वारा दिनांक 01.07.2017 (अनुलग्नक–3) को आदेश जारी किया गया और अपीलार्थी को राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, दलोट, अरनोद, प्रतापनगर (वर्तमान नाम महात्मा गांधी राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, दलोट) में व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के लिए कार्यमुक्त कर दिया गया। अपीलार्थी ने राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, दलोट, अरनोद, प्रतापनगर (वर्तमान नाम महात्मा

गांधी राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, दलोट) में व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) के पद पर कार्यभार ग्रहण किया, जो लगभग 500 किलोमीटर दूर था। चूंकि अगला दिन अर्थात् 02.07.2017 रविवार था तथा अपीलार्थी ने दिनांक 03.07.2017 (अनुलग्नक–4) के कार्यभार ग्रहण पत्र के माध्यम से दिनांक 03.07.2017 को कार्यभार ग्रहण किया। अपीलार्थी द्वारा किये गये कार्यभार ग्रहण के अनुसरण में, विद्यालय प्रधानाचार्य ने उक्त सूचना जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), प्रतापगढ़ को दिनांक 03.07.2017 (अनुलग्नक–5) के पत्र द्वारा प्रेषित की। अपीलार्थी द्वारा दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने के बाद, प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 25.07.2019 (अनुलग्नक–6) के द्वारा अपीलार्थी का फिक्सेशन किया और दिनांक 03.07.2019 तक नियमित वेतनमान प्रदान किया, उक्त आदेश में अपीलार्थी को सीरियल नंबर 38 (नई मेरिट सं. 148) पर स्थान मिला। इसी आदेश में, अपीलार्थी से पहले मेरिट में कनिष्ठ कार्मिकों को फिक्सेशन प्रदान किया गया था। चूंकि अपीलार्थी की ओर से कार्यभार ग्रहण करने में कोई विलम्ब नहीं हुआ, केवल विभागीय कारण से विलम्ब हुआ, फिर भी योग्यता में निम्नतर कार्मिकों को अपीलार्थी से पहले फिक्सेशन प्रदान किया गया है। प्रत्यर्थी विभाग की मनमानी और भेदभावपूर्ण कार्यवाही के कारण, मेरिट संख्या 148 वाले अपीलार्थी को गंभीर वित्तीय नुकसान हो रहा है, क्योंकि उसे 51400/– रुपए का मूल वेतन दिया जा रहा है, जबकि अपीलार्थी से नीचे के मेरिट वाले कार्मिक, मोजीराम मीणा (मेरिट सं. 307) 52900/– रुपए का मूल वेतन मिल रहा है। अपीलार्थी और मोजीराम मीणा की जून, 2025 की वेतन पर्ची की एक प्रति संयुक्त रूप से संलग्न है (अनुलग्नक–7)। इस संबंध में अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष दिनांक 12.07.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर वरिष्ठता, काल्पनिक लाभ अपीलार्थी से मेरिट सूची में कनिष्ठ कार्मिकों को जिस तिथि से देय उस तिथि से प्रदान करने का अनुरोध किया। माननीय उच्च न्यायालय में दायर एस.बी. सिविल रिट याचिका सं. 2042/2019 में हरीश कुमार गौतम एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 14.02.2019 (अनुलग्नक–8) एवं एसबीसीडब्लयूपी सं. 3082/2018 सुरजा राम एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.02.2023 (अनुलग्नक–9) के द्वारा प्रत्यर्थी को निर्देश दिये है कि वे याचिकाकर्ताओं के मुद्दे पर सुरजा राम (सुप्रा) के अनुसार 30 दिनों के भीतर एक आदेश जारी करें। इसके बाद प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किए गए प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 21.02.2023 के द्वारा वरिष्ठता का लाभ प्रदान करते हुए अभ्यावेदन का निपटारा किया गया, का उद्धरण देते हुए अपीलार्थी का

प्रकरण समान बताया है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि आदेश दिनांक 25.07.2019 में संशोधन करते हुए अपीलार्थी को उस तिथि से फिक्सेशन प्रदान किया जावे जिस तिथि से अपीलार्थी से योग्यता में कनिष्ठ कार्मिकों को फिक्सेशन किया गया था तथा अपीलार्थी को एक वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिकों को देय तिथि से प्रदान किये जाने के आदेश फरमाये जावे एवं अपीलार्थी को हुए आर्थिक नुकसान का भुगतान वार्षिक ब्याज की दर से भुगतान किया जावे।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया गया। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

5. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए, अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित आधारों पर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 सप्ताह की अवधि में एक आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दें।

6. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य